कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

रेत, मुरूम क्रय एवं मशीन किराया हेतु दर निर्धारण करने संबंधी निविदा

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं भवनों की मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्य में लगने वाली भवन निर्माण सामग्री समय–समय पर क्रय करने हेतु वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्म एवं एजेंसी ने निविदा आमंत्रित किया जाता है।

सामग्री का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	माप प्रति	दर
1.	रेत मिडियम	प्रति फीट	
2.	रेत प्लास्टर	प्रति फीट	
3.	गिट्टि 40 एम.एम.	प्रति फीट	
4.	गिट्टि 20 एम.एम.	प्रति फीट	
5.	गिट्टि 12 एम.एम.	प्रति फीट	
6.	गिट्टि 6 एम.एम.	प्रति फीट	
7.	डस्ट	प्रति फीट	
8.	मुरम 300 फीट	प्रति फीट	
9.	काली मिट्टि 300 फीट	प्रति फीट	
10.	बोल्डर साईज पत्थर	प्रति नग	
11.	चिमनी ईंटा 9 इंच	प्रति नग	
12.	फ्लाई एस. ईंटा 9 इंच	प्रति नग	
13.	बजरी 300 फीट	प्रति फीट	
14.	जेसीबी मशीन प्रति घंटा	किराया प्रति घंटा	
15.	क्रेन मशीन प्रति घंटा	किराया प्रति घंटा	
16	मलमा ढुलाई प्रति ट्रैक्टर	प्रति ट्रैक्टर	
17.	मलमा ढुलाई प्रति माजदा	प्रति माजदा	

निविदा शर्तें –

1. कुलसचिव इंदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ़ में निविदा शुल्क के रूप में चेक 400.00 (चार सौ मात्र) दिनांक 24.07.2019 तक जमा करना होगा।
2. सुरक्षा निधि के रूप में रू.18000.00 (रूपये अठारह हजार) मात्र चेक के रूप में जमा लिया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में निविदा भर कर कार्यालय कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के नाम से दिनांक 25.07.2019 समय 3:00 बजे तक जमा लिया जावेगा। उसी दिन 3:00 बजे के बाद निविदा खोला जावेगा।
4. निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
5. निविदा की स्वीकृत दर एक वर्ष की अवधि तक वैध होगी।
6. निविदा की प्रथम न्यूनतम दर स्वीकृत होने पर कार्य नहीं करने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम् दर वाले फर्म से स्वीकृत दर पर कार्य कराने की कार्यवाही की जावेगी।
7. आदेश जारी होने के दूसरा दिन विश्वविद्यालय में आकर कार्य प्रारंभ करना होगा।
8. सुरक्षा निधि की राशि सफल निविदाकार का रोककर शेष को तत्काल लौटा दी जावेगी।
9. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
10. भुगतान की शर्तें :– विश्वविद्यालय में सामग्री पहुंचाने पर सही पाये जाने के उपरांत देयक का भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

कुलसचिव